

14/05/24

आवेदक श्री टेकलाल मंडल, पिता-स्व0 मितु महतो, ग्राम-जीतकुण्डी, पोस्ट-खुदीसार, थाना-डुमरी, जिला-गिरिडीह द्वारा आवेदन समर्पित कर अपने खतियानी भूमि मौजा-जीतकुण्डी, खाता सं0-02, प्लॉट सं0-202, रकबा-13 डी0 को ऑनलाईन में दर्ज करने हेतु अनुरोध किया गया था। आवेदक द्वारा समर्पित आवेदन के अलोक में राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया की मौजा-जीतकुण्डी, थाना नं0-19, खाता सं0-02, खेसरा नं0-202 सर्वे रकबा-0.13 एकड़ भूमि रैयति खाते की है। तथा खतियान अमृत महतो वल्द डमर महतो वो मसो0 पेमियाँ के नाम से दर्ज है। Online पंजी-II के भोलूम सं0-1/6 पृष्ठ पर अमृत महतो के नाम से जमाबन्दी कायम हो कर खतियान में दर्ज कुल रकबा के अनुसार $6.91\frac{1}{2}$ एकड़ भूमि का लगान रसीद वर्ष 2023-24 तक निर्गत है। उक्त भूमि मौजा-जीतकुण्डी, थाना नं0-19, खाता सं0-02, प्लॉट सं0-202, रकबा-02 डी0 भूमि केवाला सं0-7752 दिनांक-01.06.1989 द्वारा केवल मंडल वगैरह के नाम से कय किया गया है, जिसमें विक्रेता लालु महतो, पिता-अमृत महतो है। तथा मेनुवल रसीद केवल मंडल वगैरह के नाम से वर्ष 2008-09 तक निर्गत है।

उक्त भूमि के संबंध में राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-जीतकुण्डी, थाना नं0-19, प्लॉट सं0-202, रकबा- $0.06\frac{1}{2}$ एकड़ भूमि लालु महतो पिता-अमृत महतो एवं तुलो महतो से द्वितीय पक्ष के वंशज खागो महतो के नाम से केवाला द्वारा खरीद किये जाने हेतु द्वितीय पक्ष के बिरेन्द्र मंडल द्वारा बताया गया है। परन्तु प्रस्तुत केवाला की फोटो कापी मे ना तो केवाला नं0 दिखाई दे रहा है और ना ही केता का नाम पढा जा रहा है। उक्त के संबंध में प्रथम पक्ष के टेकलाल मंडल द्वारा उक्त भूमि रकबा- $0.06\frac{1}{2}$ एकड़ के संबंध में नकल की छाया प्रति प्रस्तुत किया गया है। जिसमें रकबा- $0.06\frac{1}{2}$ एकड़ के स्थान पर $0.05\frac{1}{2}$ एकड़ दर्ज है एवं तुलो महतो पिता-हेमलाल महतो, साकिन-जीतकुण्डी दर्ज है परन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि केता है या विक्रेता है। अतः उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर अग्रेतर कार्रवाई किया जा सकता है।

राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर सुनवाई की तिथि को उपस्थित हो कर अपना-अपना पक्ष रखने हेतु निदेशित किया गया। जिसमें प्रथम पक्ष टेकलाल मंडल द्वारा बताया गया की उक्त भूमि मौजा-जीतकुण्डी, खाता सं0-02, प्लॉट सं0-202, रकबा-13 डी0 के मध्ये $0.06\frac{1}{4}$ एकड़ जमीन मेरे पूर्वजों द्वारा बिक्री किया है। जिसमें रकबा-02 डी0 जमीन केवल मंडल वगैरह को बिक्री किया गया है तथा रकबा- $0.04\frac{1}{4}$ एकड़ भूमि बालकी महतो के पास

बिक्री किया गया है। बिक्री के पश्चात रकबा- $0.06\frac{3}{4}$ एकड़ भूमि शेष बचा हुआ है, जो मेरे हक व हिस्से का है। द्वितीय पक्ष द्वारा जो कागजात प्रस्तुत किया जा रहा है वह फर्जी है क्योंकि उसमें केता डोमन महतो हैं जो द्वितीय पक्ष के ना तो वंशज है और ना ही इनलोगो का डोमन महतो से कोई लेना-देना है। यदि मेरे पूर्वज डोमन महतो को भूमि बिक्री किये है और डोमन महतो से इनलोगो के द्वारा बदलनामा एवं खरीद किये है तो कागजात प्रस्तुत क्यों नहीं करते हैं। साथ ही इनलोगो के द्वारा जो कागजात प्रस्तुत किया जा रहा है उसमें भी छेड़-छाड़ किया हुआ है।

उक्त के संबंध में द्वितीय पक्ष के विरेन्द्र मंडल के द्वारा बताया गया की मौजा-जीतकुण्डी, थाना नं०-19, खाता सं०-02, प्लॉट सं०-202, रकबा- $0.06\frac{1}{2}$ एकड़ भूमि लालु महतो एवं तुलो महतो से डोमन महतो ने वर्ष 1970 ई० में ही क्रय किया था। जिसके बाद डोमन महतो से हमलोगो के वंशज द्वारा भूमि का बदली किया गया है। जिसके संबंध में हमलोगो के पास यही फटा पुराना कागजात है।

उभय पक्षों के द्वारा बारी-बारी से ध्यान सुनने एवं प्रस्तुत कागजात के अवलोकनोपरान्त द्वितीय पक्ष द्वारा रकबा- $0.06\frac{1}{2}$ एकड़ भूमि पर किये जा रहे दावे के तहत कागजातों की माँग की गई। जिसपर द्वितीय पक्ष द्वारा कागजात प्रस्तुत करने में असमर्थता व्यक्त करते हुए बताया गया की हमलोगो कागजात की सत्यापित प्रति का निकासी हेतु जिला-हजारीबाग जा कर खोज-बीन किया गया परन्तु वहाँ भी नहीं मिलने के कारण कागजात उपलब्ध कराने में हमलोग अस्मर्थ हूँ। तथा जो भी कागजात द्वितीय पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया है वह स्पष्ट दिखाई नहीं देने के कारण पूर्ण रूपेन पढ़ पाना संभव नहीं है।

प्रथम पक्ष द्वारा उक्त भूमि के संबंध में जो कागजात प्रस्तुत कर यह बताया गया की द्वितीय पक्ष द्वारा जो कागजात पर दावा किया जा रहा है उसमें रकबा- $0.06\frac{1}{2}$ एकड़ के स्थान पर छेड़-छाड़ कर रकबा- $0.06\frac{1}{2}$ एकड़ किया गया है। इस संबंध में मेरे द्वारा नकल की प्रति निकाली गई है जिसमें रकबा- $0.05\frac{1}{2}$ एकड़ दर्ज है तथा लालु महतो एवं तुलो महतो का नाम भी दर्ज है परन्तु इनके द्वारा किस व्यक्ति को भूमि बेचा गया है यह जिक्र नहीं है। जिससे यह स्पष्ट है कि यह जमीन का बिक्री नहीं किया गया है। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रस्तुत केवाला फर्जी है।

—:आदेश:-

अतः उक्त के संबंध में उभय पक्षों से ध्यान सुनने एवं प्रस्तुत राजस्व कागजातों का अवलोकनोपरान्त यह ज्ञात होता है कि मौजा-जीतकुण्डी, थाना नं०-19, खाता सं०-02, प्लॉट सं०-202 रकबा-13 डी० मध्ये $0.06\frac{3}{4}$ एकड़ भूमि पर प्रथम पक्ष द्वारा अपने खतियानी भूमि के तहत अपना दावा करते है। जबकी द्वितीय पक्ष द्वारा उक्त भूमि केवाला के तहत हासील रहने के आधार पर अपना दावा पेश करते है। परन्तु यह मामला

उभय पक्षों के बीच अपने हक वो हिस्सा को ले कर विवाद हो रहा हैं। जिसका निर्णय किया जाना अधोहस्ताक्षरी के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ऐसी परिस्थिति में उभय पक्ष चाहे तो मामला को सक्षम न्यायालय में दर्ज कर निपटारा कराने हेतु स्वतंत्र है। इसी तथ्यों के साथ वाद की कार्रवाई बन्द किया जाता है।
लेखापित एवं संशोधित।



अंचल अधिकारी,
डुमरी।



अंचल अधिकारी,
डुमरी।